यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कार्यक्रम अधिकारी,बाल विकास विभाग, देहरादून(बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुर,कालसी एवं चकराता)**द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास विभाग,देहरादून(बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुर, कलसी एवं चकराता) के माह 07/2017 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक श्रीपवन कुमार एवं श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.07.2020 से 18.08.2020 तकश्री प्रेम चन्द्र, वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार, वरिoलेखापरीक्षक,श्रीशूरवीर सिंहएवं श्री रविशंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 17.07.2017 से 27.07.2017 तक श्री एसo केo जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2016 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2017 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (I)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-देहरादून

(II) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(जिला कार्यक्रम अधिकारी,बाल विकास विभाग, देहरादून)

(राज्य सरकार) **(रुपये लाख में)**

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत (-)	आधिक्य (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	--	--	00.00	00.00	35181610	12164988	23016622	--
2018-19	--	--	2458000	2373620	58099700	25151707	33032373	--

2019-20	--	--	1766706	1766706	189527956	162994165	26533791	--
2020-21 (06/2020)	--	--	623000	623000	--	--	--	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

(भारत सरकार)(रुपयेलाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर-स्थापना		बचत (-)	आधिक्य (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	--	--	3760900	3592982	13527831	11801506	1894243	--
2018-19	--	--	1297400	1267804	48897397	48077354	849639	--
2019-20	--	--	1609476	1609476	59975671	53516195	6459476	--
2020-21 (06/2020)	--	--	690000	690000	--	--	--	--

(बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायपुर, देहरादून)

(राज्य सरकार)(रुपयेलाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत (-)	आधिक्य (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	--	--	--	--	11492600	11419505	73095	--
2018-19	--	--	1814100	1774059	16910050	11337648	5572402	--
2019-20	--	--	--	1851554	14120200	10454274	3665926	--
2020-21 (06/2020)	--	--	--	474450	3832000	3814393	17607	--

(भारत सरकार) **(रुपयेलाख में)**

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त धनराशि	व्यय धनराशि	बचत (-)	आधिक्य (+)
2017-18		--	46213172	42743100	3470072	--
2018-19		--	52852755	48592744	4260011	--
2019-20		--	44991857	46162943	3828914	--
2020-21 (06/2020)		--	16838068	13707471	3130597	--

(बाल विकास परियोजना अधिकारी,कालसी, देहरादून)

(राज्य सरकार)(लाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत (-)	आधिक्य (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	--	--	--	--	6243166	6193293	49873	--
2018-19	--	--	655000	638904	10417500	10284139	149457	--
2019-20	--	--	750768	750768	6517332	6327461	199871	--
2020-21 (06/2020)	--	--	189435	189435	2244000	1902750	641250	--

(भारत सरकार)(रुपयेलाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत (-)	आधिक्य (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	--	--	6961000	5194901	23043000	17156436	7652663	--
2018-19	--	--	4343000	4295278	21691750	21097598	641874	--
2019-20	--	--	4883338	4883338	18346699	16914859	1431840	--
2020-21 (06/2020)	--	--	1207071	1207071	11643504	3192786	8450718	--

(बाल विकास परियोजना अधिकारी,चकराता, देहरादून)

(राज्य सरकार)(रुपयेलाख में)

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत (-)	आधिक्य (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	--	--	8565000	8564134	20000	19968	898	--
2018-19	--	--	11321950	9266184	1701075	1552550	2204291	--
2019-20	--	--	8294000	8694736	873240	426063	46441	--
2020-21 (06/2020)	--	--	2999000	2351207	--	--	647793	--

(भारत सरकार) **(रुपयेलाख में)**

वर्ष	प्रा. अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		बचत (-)	आधिक्य (+)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	--	--	14299000	13743282	16415000	14372992	2597726	--
2018-19	--	--	16087400	15487104	18325500	14578849	4346947	--
2019-20	--	--	12914500	18430094	20104357	13788347	800416	--
2020-21 (06/2020)	--	--	4971296	5263643	198000	--	(-)94347	--

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना को सम्मिलित करते हुये इकाई **"स"** श्रेणी की है।

इकाई का संगठनात्मक ढांचाः-सचिव→निदेशक→डी.पी.ओ.→सी.डी.पी.ओ.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकासविभाग, देहरादून**को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन**जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकासविभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019 एवं 03/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकासविभाग, देहरादून**का विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय **जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकासविभाग, देहरादून** के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो ब

प्रस्तर:01- प्रधानमंत्री मातृत्व बंदना योजना के अन्तर्गत 1137 लाभार्थियों को रू 21.45 लाख धनराशि का भुगतान लाम्बित रहना।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के दिशा निर्देश के प्रस्तर 2.4.1 के अनुसार पहली किस्त रू 1000 गर्भधारण का शीघ्र से पंजीकरण कराने पर द्दितीय किस्त रू 2000 कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर एवं तृतीय किस्त रू 2000 बच्चे का जन्म पर पंजीकरण कराने पर, बच्चे का बी. सी. जी. ओ. पी. वी. डी. पी. टी. तथा हेपेटाइटिस बी या इससे समतुल्य का पहला टीका कराने पर ही भुगतान किये जाने का प्रावधान हे।

कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निम्न बाल विकास परियोजनाओं में प्रथम,द्दितीय एवं तृतीय किस्त का लाभार्थियों को भुगतान सम्प्रेक्षा तिथि तक नही किया गया है। जिस कारण उक्त लाभार्थियों का लाभ वंचित है। जिसका विवरण इस प्रकार है।

परियोजना का नाम	प्रथम किस्त के लाभार्थी की संख्या/ प्रति रू 1000	द्दितीय किस्त के लाभार्थी की संख्या प्रति रू 2000	तृतीय किस्त के लाभार्थी की संख्या प्रति रू 2000
चकराता	13	3	20
देहरादून शहर	62	8	189
डोईवाला	12	14	232
कालसी	10	7	40
रायपुर	13	22	134
सहसपुर	18	1	126
विकास नगर	1	21	101
योग	129×1000=129000	66×2000=132000	942×2000=1884000

इस प्रकार प्रथम किस्त के 129 लाभार्थी,द्दितीय किस्त के 66 लाभार्थी एवं तृतीय किस्त के 942 लाभार्थी कुल 1137 लाभार्थी को रू0 21.45 लाख की धनराशि विभिन्न लाभार्थियों लाभ से वंचित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि परियोजना स्तर के पोर्टल से लाभार्थीवार संशोधन कयूज के कारणों सहित प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि विगत दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी लाभार्थियों का लाभ प्रदान नही किया जा सका।

अत: प्रधानमंत्री मातृत्व बंदना योजना के अन्तर्गत 1137 लाभार्थियों को रू 21.45 लाख धनराशि का भुगतान लाम्बित रहने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर:02- राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों का निरीक्षण न किया जाता।

निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास उत्तराखण्ड देहरादनू द्वारा दिसम्बर 2018 में पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत अनुश्रवण हेतु दिशा निर्देश के अनुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रति माह पांच आंगनवाडी केन्द्रो यानि वर्ष में 60 आंगनवाडी केन्द्रों का, बाल विकास परियोजना अधिकारी को 6 माह में एक बार प्रत्येक आंगनवाडी केन्दों का निरीक्षण एवं सुपरवाइजर को दो माह में एक बार प्रत्यंक आंगनवाडी केन्दों का निरीक्षण किये जाने का प्रावधान है1

कार्यालय एवं परियोजना अधिकारी के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया है कि निम्न अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 से जून 20 तक जनपद देहरादून में 1860 आंगनबाडी केन्द्र संचालित है लेकिन जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, चकराता, में 211 आंगनवाडी केन्द्र, कालसी में 190 आंगनबाडी केन्द्र, रायपुर में 222 आंगनवाडी केन्द्र एवं उक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के सुपरवाइजर द्वारा उक्त अवधि में कोई भी निरीक्षण सम्प्रेक्षा तिथि जुलाई 20 तक नही किया गया है।

उपरोक्त सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अत: राष्ट्रीय पोषण मिशन योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों का निरीक्षण न किया जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :01 - कम्प्युटर भत्ते की लंबित वसूली, रूपये 5,700।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, कालसी, देहरादून,के अभिलेखो की लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश मे आया है कि श्री शैलेन्द्र सिंह भण्डारी,वरिष्ठ सहायक द्वारा उपरोक्त कार्यालय मे रूपये 200 प्रतिमाह की दर (जून 2015 से दिसम्बर 2016 तक) से कुल रूपये 5700 (रूपये 300 * 19 माह) कम्प्युटर भत्ता /अग्रिम के रूप में आहरित किया गया था । जबकि राज्य के माह 06/2015 के शासनादेश द्वारा कम्प्युटर भत्ते को बंद कर दिया गया था । अतः विभाग द्वारा रूपये 5,700 का कम्प्युटर भत्ते की मद के रूप में अधिक भुगतान किया गया ।

प्रकरणो / तथ्यो को लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुये उत्तर में कहा गया है कि संबन्धित कर्मचारी की मृत्यु हो चुकी है फलस्वरूप कार्मिक के देयकों से उक्त धनराशि की वसूली कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः रूपये 5,700 की वसूली का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:02- रू 5.50 लाख की धनराशि का व्यय बाउचस न पाया जाना ।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुर के बैंक खाता सं0 102430100205333 पंजाब नेशनल बैंक रायपुर की नमूना जांच में पाया गया है कि दिनांक 14.06.19 के पास बुक के अनुसार रू 1422202.10 दर्शाया गया है जबकि चेक निर्गत पंजिका के अनुसार रू 1996390.50 अवशेष धनराशि दर्शाया गया है दिनांक 14.06.19 को रू 574188.40 का अधिक दर्शाया जाना पाया गया है। आगे जांच में यह भी पाया गया है कि दिनांक 14.06.19 से दिनांक 11.07.19 तक पास बुक में रू0 550017.70 दर्ज पाया गया है लेकिन चेक निर्गत पंजिका के कोई प्रविष्टि नही की गई है उक्त धनराशि कहां किस फर्म को भुगतान किया गया है इसका कोई उल्लेख नही पाया गया है। न नही कोई व्यय सम्बन्धी बिल वाउचर ही प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा है कि जांच कर अगले सम्प्रेक्षा में अवलोकित करा दिया जायेगा। उत्तर मान्य नही है क्योंकि एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी आज की तिथि तक उक्त धनराशि का कोई व्यय वाउचर उपलब्ध नही था। व्यय वाउचर उपलब्ध न कराया से किया गया व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है।

अत: रू 5.50 लाख की धनराशि का व्यय वाउचर नही पाये जाने का प्रकरण विभाग के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
106/2005-06	02	01	शून्य
97/2007-08	02	03	शून्य
102/2014-15	शून्य	04	01
04/2016-17	01	1,2,3एवं4	शून्य
46/2017-18	शून्य	1,2,3एवं 4	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
(इकाई द्वारा विगत अनिस्तारित प्रस्तरों की अधतन अनुपालन आख्या तैयार कर प्रेषित की जायेगी)				

भाग-IV

इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला कार्यक्रम अधिकारी,बाल विकास विभाग, देहरादूनएवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रायपुर, कलसी एवं चकराता**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये।

(I) शून्य

2. सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

1- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डॉ० एस० के० सिंह	जिला कार्यक्रम अधिकारी	05-02-2015 से 16-07-2018
2.	श्रीमति क्षमा बहुगुणा	जिला कार्यक्रम अधिकारी	17-07-2018 से 14-07-2019
3.	डॉ० अखिलेश कुमार मिश्र	जिला कार्यक्रम अधिकारी	15-07-2019 से वर्तमान तक

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारी,बाल विकास विभाग, देहरादूनको इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे **उपमहालेखाकार(ए.एम.जी.-01),कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, एल 218 द्वितीय तल,निकट-IHM, कौलागढ़,248195उत्तराखण्डदेहरादून** को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / ए.एम.जी -1